R.M.M. Law College Saharsa

Nareshji Anand
Lecturer

LL.B. Part - IInd
Muslim Law, Family Law
Paper - 1st

मुता सम्बन्ध

कोई भी शिया मुस्लिम सीमित काल के लिए विवाह संविदा कर सकता है। यह सीमित समय कुछ वर्ष, मास, दिन या दिन का कोई भाग भी हो सकता है, ऐसे अस्थायी विवाह को मुता सम्बन्ध या अस्थायी विवाह कहा जाता है। 'मुता' शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 'आनन्द' और विधि में लाक्षणिक भाव में इसका अर्थ होता है 'आनन्दार्थ विवाह'।

मुस्लिम विधि की सुन्नी शाखा 'मुता' सम्बन्ध को मान्यता प्रदान नहीं करती, क्योंकि उस शाखा विधि के अनुसार विवाह की संविदा की अवधि सीमित नहीं होनी चाहिए और विवाह के प्रस्ताव और स्वीकृति के समय में प्रयुक्त शब्द समूह ऐसे होने चाहिए जो तात्कालिक और स्थायी और स्थायी सम्बन्ध का बोध करावें। अतएव सुन्नी विधि के अंतर्गत सीमित समय के लिए किया गया विवाह शून्य होता है।

Scanned with CamScanner

चूँकि मुता सम्बन्ध में चार पत्नियों की संख्या की सीमा लागू नहीं होती। इस कारण शिया सम्प्रदाय के नवाबों और सामन्तों ने पंचम और षष्ठ पत्नि को मुता रूप में ग्रहण किया। ब्रिटिश शासनकाल में शिया जमींदारों और तालुकदारों ने बहुधा मुता रूप में ग्रहण किया। हमारे देश में जमींदारी प्रथा की समाप्ति ने मुता सम्बन्ध को ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। वर्तमान समय में मुता सम्बन्ध का प्रचलन बहुत ही कम है और कुछ ही उन कट्टरपंथी शिया लोगों द्वारा ही ऐसा अस्थायी विवाह किया जाता है जो अब भी 'मन-कुर्द, अल अमिली' वाक्य की प्रशंसा करते हैं। इस वाक्य का अर्थ है— जिस पुरुष ने मुता सम्बन्ध स्थापित नहीं किया वह पक्का मुस्लिम ही नहीं है। अतः अस्थायी विवाह केवल इशना-अशारिया शियाओं में ही प्रचलन में है। जैदिया और इस्माइलिया शियाओं में यह संस्था प्रचलन में नहीं है। ईरान और ईराक में इसे विधिक 'वेश्यावृत्ति' कहा जाता है।

पुरुष शिया मुस्लिम मुता-विवाह की संविदा किसी भी मुस्लिम, ईसाई पारसी या यहूदी स्त्री से कर सकता है, किंतु किसी अन्य धर्मावलम्बी स्त्री से नहीं। कोई भी शिया स्त्री मुता विवाह की संविदा किसी गैर-मुस्लिम पुरुष से नहीं कर सकती है।

मुता-सम्बन्ध के आवश्यक तत्व :-

मुता-सम्बन्ध के आवश्यक तत्व केवल दो हैं —

③

(1) सहवास की अवधि निश्चित होनी चाहिए और यह एक समय निश्चित है तब मुता सम्बन्ध की संविदा की जाय।
(2) कुछ मेहर अवश्य ही निश्चित हो।

जब मुता सम्बन्ध की अवधि और मेहर निश्चित की गई हो तो संविदा मान्य और वैध होती है। जिन मामलों में यह तो निश्चित किया गया कि मुता-सम्बन्ध कितने समय का होगा किंतु मेहर निश्चित नहीं की गई तो मुता की संविदा शून्य है, किंतु जहाँ मेहर तो निश्चित कर दी गई हो और मुता की अवधि निश्चित न की गई हो तो वहाँ मुता की संविदा तो शून्य है, किंतु स्थायी विवाह इसे मानी जाएगी और मान्य होगी।

एस०ए० हुसैन बनाम रजम्मा के वाद में हबीबुल्ला नामक एक शिया पुरुष में और रजम्मा नामक एक हिन्दू स्त्री में प्रेम हो गया। रजम्मा इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई और हबीबुल्ला ने रजम्मा से मुता विवाह किया। हबीबुल्ला के मृत्यु के पश्चात रजमा विधवा की हैसियत से उसके सम्पत्ति पर काबिज हुई। परंतु हबीबुल्ला के भाई ने रजम्मा के उत्तराधिकारी होने की वैधता को न्यायालय में वाद दायर किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अपील में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि यद्यपि इस विवाह में "मुता" शब्द का प्रयोग किया गया था, किन्तु चूँकि इसकी अवधि निश्चित नहीं थी, इसलिए यह विवाह निकाह माना जाएगा। निकाह में मृत पति के विधवा को

उत्तराधिकारी माना जाता है। अतः उसका मृतक की सम्पत्ति में हिस्से के अलावा पाने का हकदार है।

जीवन पर्यन्त के मुता-सम्बन्ध को क्या निकाह माना जाए इसका ठीक ठीक उत्तर देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। शिया विधि के लेखक अल हिल्ली का कथन है कि विवाह संविदा में जब अवधि निश्चित हो चाहे 99 वर्ष हो या जीवन पर्यन्त होता है तो मुता सम्बन्ध है परन्तु शेख मोहम्मद हसन का कथन है कि जब मुता सम्बन्ध जीवन पर्यन्त का है तो उसे निकाह माना जाएगा।

अतः मुता-सम्बन्ध मे यदि अवधि निश्चित नहीं तो उसे शिया विधि के अनुसार निकाह ही समझा जाएगा।

Scanned with CamScanner